भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या †*213
दिनांक 10.12.2024 को उत्तरार्थ

जिला पंचायत विकास योजना के कार्य

†*213. श्रीमती संध्या राय:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न पंचायत योजनाओं के नामों का विशेषत: मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) जिला पंचायत विकास योजना के तहत मध्य प्रदेश के भिंड जिले में किए गए विभिन्न कार्यों सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान कार्यान्वित की जा रही ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) एवं (ख): विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

जिला पंचायत विकास योजना के कार्यों के संबंध में दिनांक **10.12.2024** को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 213 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) देश में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शासन में सुधार लाने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) निम्नलिखित दो प्रमुख योजनाओं को लागू कर रहा है:

(i) केंद्र प्रायोजित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना 2022-23 से 2025-26 तक कार्यान्वित की जा रही है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य पंचायत शासन में सुधार के लिए देश में पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण करना है।

यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसका ध्यान सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) पर है और सीमित पैमाने पर ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत भवन, सामान्य सेवा केंद्र और कंप्यूटर जैसी अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना है। यह योजना राज्य पंचायत संसाधन केंद्र, जिला पंचायत संसाधन केंद्र और ब्लॉक पंचायत संसाधन केंद्र जैसे क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्यों के बीच सहायता का पैटर्न राज्यों के लिए 60:40, पर्वतीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण के अनुपात में है। इस योजना के तहत मंत्रालय द्वारा जिलों को नहीं बल्कि राज्य सरकार को धनराशि जारी की जाती है।

संशोधित आरजीएसए में पंचायती राज संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रोत्साहित करने के लिए पंचायतों के प्रोत्साहनीकरण का भी प्रावधान है। सेवाओं की आपूर्ति और सार्वजनिक भलाई में सुधार के लिए उनके अच्छे काम को मान्यता देने के लिए सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाली पंचायतों को वित्तीय प्रोत्साहन सहित पुरस्कार दिए जाते हैं। स्कीम के एक भाग, ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना में जमीनी स्तर पर बेहतर सेवा प्रदायगी तथा पंचायत शासन को पारदर्शी, जवाबदेह एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पंचायतों की ई-गवर्नेंस क्षमताओं के विकास की परिकल्पना की गई है। इस योजना के अंतर्गत, ई-गवर्नेंस पहल जैसे कि ई-ग्राम स्वराज, एक सरलीकृत कार्य-आधारित नियोजन और लेखांकन एप्लीकेशन विकसित किया गया है, जिससे सभी पंचायतों के लिए अपनी वार्षिक पंचायत विकास योजनाएँ (पीडीपी) ऑनलाइन मोड में तैयार करना और अपलोड करना संभव हो गया है। उपयोग किए गए केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान के ऑनलाइन ऑडिट के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन 'ऑडिटऑनलाइन' विकसित किया गया है और यह पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करता है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा विकसित मेरी पंचायत जैसे ऐप ने पंचायत में नियोजन, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति की जानकारी जनता तक पहुँचाकर पंचायत शासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। इसी तरह, पंचायत निर्णय एक ऑनलाइन ऐप है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है।

(ii) स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण) वर्ष 2020 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत, ड्रोन सर्वेक्षण के आधार पर, गांवों में आबादी क्षेत्रों में घरों के मालिक ग्रामीण परिवारों के लिए 'अधिकारों का रिकॉर्ड' तैयार किया जाता है और मौजूदा नियमों के अनुसार जांच की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा गांव के आबादी क्षेत्र में संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड दिए जाते हैं। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का लक्ष्य देश के सभी आबादी गांवों को कवर करना है और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। अब तक, मध्य प्रदेश सहित 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में शामिल हो चुके हैं, 3.17 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और 1.49 लाख गांवों के लिए 2.19 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान के तहत प्राप्त धनराशि से विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां भी संचालित करती हैं।

उपरोक्त योजनाएं मध्य प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायतों के विकास के लिए कार्यान्वित की जाती हैं।

(ख) स्वामित्व योजना के अंतर्गत, भिंड जिले के 833 गांवों में ड्रोन उड़ान का कार्य पूरा हो चुका है, जिनमें से 549 गांवों के लिए 89,348 संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश राज्य के भिंड जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पिछले 5 वर्षों के दौरान जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) के लिए शुरू की गई गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ रूपये में)

वर्ष	**आबंटित राशि**	**शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या**	**पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या**	**किया गया व्यय**
2020-21	4.66	60	19	0.28
2021-22	3.41	65	02	0.45
2022-23	3.52	28	05	1.72
2023-24	3.26	59	0	1.07
2024-25	0.00	59	0	0.00
कुल	14.85	271	26	3.52

***